रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2016/कार्तिक 20, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 226
No. 235] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2016/KARTIKA 20, 1938 [N.C.T.D. No. 226

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण निदेशालय
(संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवाएं)
अधिसूचना

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2016

सं. फा. 01(7)(3)/14/यूटीसीएस/भर्ती/प्रशा./21046-52.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्याः 24/78/ 68/डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पद से संबंधित पूर्ववर्ती नियमों के अधिक्रमण से पूर्व की गई या हटाए जाने के लिए की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय (संघ राज्य क्षेत्र, सिविल सेवाएं), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "पुस्तकालय अध्यक्ष" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

2. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को प्रशिक्षण निदेशालय (संघ राज्य क्षेत्र, सिविल सेवाएं) पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती नियमावली, 2015 कहा जाए ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण पे बैंड तथा ग्रेड पे तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित

अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे ।

4. अयोग्यता.— ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा ।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे ।

6. बचाव.—इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट-1 के रूप में "अनुसूची" संलग्न ।

प्रशिक्षण निदेशालय, यूटीसीएस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "पुस्तकालय अध्यक्ष" के पद के भर्ती नियम :

क्र. सं.			
1.	पदनाम	:	पुस्तकालय अध्यक्ष
2.	पदों की संख्या	:	01 *(एक) (2015) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है ।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतनमान	:	पे बैंड – 2, 9300 - 34800 + ग्रेड पे 4200/- रूपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) नोट :- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो, तथा यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य :- 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि 2. केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के अन्तर्गत पुस्तकालय में दो वर्ष का व्यवसायिक अनुभव । वांछनीय : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा ।

			टीप - 1 अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है । टीप - 2 यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नती वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		सीधी भर्ती द्वारा टीप :- पदधारियों द्वारा एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर जाने या लम्बी रूग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जा सकेंगी । क. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले, अथवा ख. कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, सामान्य तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी । टीप :- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिये दिनांक 01.01.2006 (जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है) से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी । जहां पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड / वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहां ये लाभ उस / उन पद/ पदों के लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेशन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति समावेशन किया जाना है ।		लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ?		ख वर्गीय विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. प्रधान सचिव / सचिव प्रशिक्षण —अध्यक्ष 2. निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) —सदस्य 3. एक अधिकारी जो कि उप-सचिव के रैंक से कम न हो —सदस्य
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

टी. श्रीकान्त, निदेशक (प्रशिक्षण)

DIRECTORATE OF TRAINING
(Union Territories Civil Services)
NOTIFICATION

Delhi, the 10th November, 2016

No. F. 1(7)(3)/14/UTCS/Rectt./Admn./21046-52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notifications No. F.24/78/68/DH(S) dated the 24th September, 1968, and in supersession of the earlier rules relating to the post except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Librarian in the Directorate of Training (Union Territories Civil Services), Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Directorate of Training, UTCS (Librarian) Recruitment Rules, 2015.

   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and Pay Band and grade pay/scale of pay.—** The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, **-**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

   'Schedule' enclosed as Annexure 1

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DIRECTORATE OF TRAINING, UNION TERRITORY CIVIL SERVICES

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF **LIBRARIAN**

1.	Name of Post	:	Librarian
2.	Number of Post	:	1* * (2015) Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification	:	GCS group B non-gazetted non-ministerial
4.	Pay band & grade pay/pay scale	:	PB-2, Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs. 4200)
5.	Whether selection or non-selection post	:	N.A.
6.	Age limit for direct recruits	:	Not exceeding 30 years. (relaxable for government servants up to five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mmanipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of

			J & K state, Lahaul & Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar islands or Lakshadweep).
7.	Educational and Other Qualification Required For Direct Recruits	:	**Essential :** (i) Bachelor's degree in library science or library and information science of a recognized university/ institute. (ii) Two years professional experience in a library under Central/state government/autonomous or statutory organization/psu/university or recognized research or educational institution. **desirable :** Diploma in Computer Application from a recognized university or institute. **Note 1** : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes, if at any stage of slection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.
8.	Whether age and EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	:	NA
9.	Period of probation, if any		2 years for direct recruits
10.	Method of rectt. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods		By direct recruitment. **Note**: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government, (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column 7. (period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note**: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th cpc recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
11.	In case of rectt. By promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		Not applicable

12.	If a DPC exists what is its composition		Group 'B' Departmental Confirmation Committee: 1. Principal Secretary/Secretary (Training) - Chairman 2. Director/Joint Director (Training) - Member 3. An officer not below the rank of Deputy Secretary - Member
13.	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making rectt.		Consultation with UPSC not necessary.

For and in the Name of Hon'ble Lt. Governor of Delhi,

T. SREEKANTH, Director (Training)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.11.21 11:28:10 +05'30'